भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 683
06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तिरुपति में एससीएम के अंतर्गत परियोजनाएं

683. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तिरुपति में स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति क्या है**;**

(ख) शहरीकरण कार्यक्रमों के बीच शहरी आवास की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं:

(ग) क्या सरकार ने एससीएम में शहरी आवागमन और सार्वजनिक परिवहन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कोई योजनाएं या नीतियां शुरू की हैं**;** और

(घ) यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) तिरुपति स्मार्ट सिटी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के तहत कुल 2,083 करोड़ रुपये की राशि के 104 परियोजनाओं के लिए कार्य आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें से 1,611 करोड़ रुपये की राशि की 79 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 472 करोड़ रुपये की राशि की शेष 25 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं।

(ख) शहरी आवास की समस्या को दूर करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25 जून, 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है, जिसका उद्देश्य सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित, हर मौसम के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना स्कीम के दिशानिर्देशों में उल्लिखित पात्रता मानदण्डों के अनुसार चार घटकों- लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में

किफायती आवास (एएचपी), “स्व-स्थाने” स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर), और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से संचालित होती है। मिशन अवधि 31.03.2022 तक थी, जिसे योजना के वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए केवल 31.12.2024 तक बढ़ा दी गई। सी एल एल घटक को 31.03.2022 के बाद नहीं बढ़ाया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय शहरी विकास के लिए भारत सरकार की नीति और रणनीति भारतीय संविधान में निर्धारित प्रावधानों का पालन करती है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसके अलावा, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243डब्ल्यू) के अनुसार, कस्बा नियोजन सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है।

भारत सरकार शहरी परिवहन प्रणालियों की योजना बनाने और उन्हें सबसे सुस्थिर और व्यवहार्य तरीके से लागू करने के लिए योजनाबद्ध उपायों/परामर्शिकाओं और नीतियां तैयार करने जैसे राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006, मेट्रो रेल नीति, 2017 और पारगमन उन्मुख विकास नीति, 2017 के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। लगभग 1011 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइनें चालू हो गई हैं और विभिन्न शहरों में 979 किलोमीटर अन्य मेट्रो रेल लाइनें निर्माणाधीन हैं। मेट्रो रेल प्रणाली एक प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा कुशल मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) है जो तेज, सुरक्षित, आरामदायक, समयनिष्ठ और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली प्रदान करके शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण रूप से मदद करती है। एमआरटीएस नेटवर्क का विस्तार न केवल रोजगार और व्यापार के अवसरों को बढ़ा रहा है बल्कि बेहतर मोबिलिटी प्रदान करके शहरी आबादी की जीवन रेखा भी बन रहा है।

इसके अलावा, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत शहरी मोबिलिटी क्षेत्र में 37,304 करोड़ रुपये (कुल परियोजना परिव्यय का 90%) की लागत वाली 1,579 परियोजनाएँ पूरी की गई हैं। इन परियोजनाओं में स्मार्ट सड़कें, मल्टीलेवल कार पार्किंग, पैदल पथों का प्रचार, साइकिल ट्रैक, इंटेलिजेंट ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम आदि शामिल हैं।

*****